

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)
आदेश पत्रक - ता०.....
जिला.....से.....तक
केस का प्रकार....., सं०....., सन् १९.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
20/07/2023	<p align="center">न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p align="center">आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद संख्या-१३/२०२१</p> <p align="center">सुनीता कुमारी.....पुनरीक्षणकर्ता</p> <p align="center">-बनाम-</p> <p align="center">राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p align="center">-:: आदेश ::-</p> <p>प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद श्रीमती सुनीता कुमारी, पति-स्व० संतोष कुमार, सा०-बेलोखड़ी, वार्ड नं०-१३, पंचायत-श्रीनगर, प्रखंड-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के आँगनबाड़ी अपीलवाद सं०-१३/२०२१ में दिनांक १८.०८.२०२१ को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ द्वारा वाद सं०-०१/२०२१ में दिनांक १२.०४.२०२१ को पारित आदेश के द्वारा किये गये वादी सुनीता कुमारी के चयन को रद्द को कर दिया गया।</p> <p>वादी का मुख्य रूप से कहना है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत बाल विकास परियोजना, घैलाढ़ के ग्राम पंचायत श्रीनगर, ग्राम बेलोखड़ी, वार्ड नं०-१३ के आँगनबाड़ी केन्द्र सं०-०५ के सेविका पद के चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया। पोषक क्षेत्र का बाहुल्य वर्ग "पिछड़ा वर्ग" घोषित किया गया। तदालोक में वादी के अतिरिक्त अन्य १३ अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मेधा सूची का प्रकाशन किया गया। उक्त मेधा सूची तथा मेधा सूची के क्रमांक-०१ की अभ्यर्थी पूजा कुमारी के शैक्षणिक प्रमाण के विरुद्ध वादी के द्वारा आपत्ति दाखिल किया गया। वादी की यह भी आपत्ति थी कि उनका नाम औपबंधिक मेधा सूची के क्रमांक-०२ पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसका अंक बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के मध्यमा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र पर अंकित अतिरिक्त विषय से ३० अंक घटाकर कुल प्राप्तांक-४०५ एवं अंक प्रतिशत ५७.८६ दर्शाया गया है तथा वह विधवा है। मार्गदर्शिका के कंडिका-०९ के अनुसार विधवा को ५% बोनस अंक देते हुए मेधा अंक की गणना की जाएगी। इस प्रकार वादी का मेधा अंक $57.86+5=62.86$ कुल होता है। जिसके अनुसार</p>	

Qan

मेधा सूची में क्रमांक-2 पर उनका नाम होना चाहिए था। वादी के द्वारा दिए गए आपत्ति का निराकरण किए बिना दिनांक 08.12.2020 को आमसभा की तिथि निर्धारित करते हुए विपक्षी सं०-04, राजकुमारी देवी, महिला पर्यवेक्षिका-सह-सदस्य सचिव, चयन समिति के द्वारा वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आम सभा की गई। वादी के अनुसार आमसभा में 14 अभ्यर्थियों में से मात्र छः अभ्यर्थी क्रमशः पूजा कुमारी, सुनीता कुमारी, नीतू कुमारी, कुन्दन कुमारी, ब्यूटी कुमारी एवं रेखा कुमारी उपस्थित हुई, जो सभी पंजी पर अपना हस्ताक्षर भी बनाई है। आमसभा में विडियोग्राफी करवाया जा रहा था, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि छः अभ्यर्थी ही आमसभा में उपस्थित थी। विपक्षी सं०-05 अनुपम कुमारी उपस्थित नहीं थी तथा बारी-बारी से उपस्थित अभ्यर्थी के आवेदन पर चयन हेतु विचार किया गया। वादी का कहना है कि आमसभा में उनके द्वारा आपत्ति दाखिल की गई कि क्रमांक-01 की अभ्यर्थी पूजा कुमारी का प्रमाण-पत्र फर्जी है तथा क्रमांक-02 की अभ्यर्थी अनुपम कुमारी आमसभा में अनुपस्थित है तथा उसका मेधा अंक भी वादी से कम है, किन्तु महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सरासर गलत रूप से पूजा कुमारी का चयन फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वादी के द्वारा चयन मार्गदर्शिका, 2019 की बंडिका-11 में वर्णित प्रावधान के तहत शपथ-पत्र के साथ पूजा कुमारी के गलत चयन के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के यहाँ आपत्ति दाखिल की, जिसे उनके द्वारा मुताबिक प्रावधान के पत्रांक-1745 दिनांक 23.12.2020 से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ को सुनवाई कर कार्रवाई करने के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ के द्वारा उक्त परिवाद-पत्र प्राप्त होने के उपरांत आँगनबाड़ी वाद सं०-01/2021 सुनीता देवी बनाम पूजा कुमारी दायर कर पत्रांक-215 दिनांक 29.12.2020 से संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत की गई। नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त वादी सुनीता कुमारी निदेशानुसार बाल विकास परियोजना कार्यालय, धैलाढ़ में उपस्थित हुई तथा सुनवाई के दौरान अपना साक्ष्य व सबूत दाखिल की। पूजा कुमारी भी सुनवाई में भाग ली, किन्तु विपक्षी सं०-05, अनुपम कुमारी के द्वारा कोई परिवाद शपथ-पत्र के साथ दाखिल नहीं किया गया और न ही वह प्रथम अपीलिय प्राधिकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ के यहाँ उपस्थित हुई। उक्त वाद में दिनांक 12.04.2021 को आदेश पारित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में पूजा कुमारी, पति-मदन कुमार, ग्राम-बेलोखड़ी, पंचायत-श्रीनगर, वार्ड नं०-13, आँगनबाड़ी केन्द्र सं०-05 का चयन सेविका पद पर फर्जी संस्था झारखण्ड स्टेट ओपन स्कूल राँची के प्रमाण-पत्र के आधार पर किये जाने के कारण रद्द कर दिया गया तथा क्रमांक-02 की अभ्यर्थी अनुपम कुमारी का कोई दावा आवेदन व

Day

आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण क्रमांक-03 की अभ्यर्थी सुनीता कुमारी (वादी) का चयन करते हुए उन्हें चयन-पत्र निर्गत करने का आदेश महिला पर्यवेक्षिका को दिया गया। चयन पत्र प्राप्त होने के उपरांत वादी प्रशिक्षण प्राप्त कर केन्द्र का संचालन सुचारु रूप से करने लगी। तत्पश्चात वादी के विधिवत चयन के विरुद्ध विपक्षी अनुपम कुमारी के द्वारा मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विपरीत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के न्यायालय में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2021 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया गया। वादी का कहना है कि अनुपम कुमारी निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, जिस वजह से उन्हें उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उक्त अपीलवाद में नोटिस प्राप्त होने पर वादी के द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा आँगनबाड़ी अपीलवाद संख्या-13/2021 में दिनांक 18.08.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा निम्न न्यायालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के निर्णय को खंडित करते हुए वादी के चयन को रद्द कर विपक्षी अनुपम कुमारी को सेविका के पद पर चयन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पनुरीक्षणवाद दाखिल किया गया है। वादी का मुख्य आरोप यह है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा इस तथ्य को संज्ञान में लिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है कि अनुपम कुमारी चयन हेतु सम्पन्न दिनांक 08.12.2020 की आमसभा में अनुपस्थित थी तथा बाद में कार्यालय कर्मी से मिलकर आमसभा पंजी में छेड़छाड़ कर अपना हस्ताक्षर बनाई है। उनका कहना है कि मार्गदर्शिका, 2019 की कंडिका-09 के निदेश के अनुपालन में आमसभा की वीडियोग्राफी कराई गई किन्तु निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर वगैर वीडियोग्राफी का अवलोकन किये आमसभा से अनुपस्थित अभ्यर्थी के चयन का आदेश पारित किया गया, जो गलत है। वादी का कहना है कि मार्गदर्शिका, 2019 की कंडिका-11 में वर्णित प्रावधान के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो खंडन योग्य है। उक्त कंडिका में वर्णित है कि "चयन से असंतुष्ट परिवादी आमसभा की तिथि से एक माह के अन्दर बाल विकास परियोजना कार्यालय में जाकर अपना परिवाद दे सकती है, जिसके साथ साक्ष्य एवं शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।" कंडिका-12 में वर्णित है कि "बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) के यहाँ अपील दायर की जा सकेगी।" किन्तु अनुपम कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, घैलाढ़ में आमसभा द्वारा किये गये चयन के विरुद्ध शपथ-पत्र के साथ कोई परिवाद ससमय दाखिल नहीं किया गया। बहस में भाग लेते हुए उनके अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि

Jan

विपक्षी सं०-०५ के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के जिस वाद में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया, उसमें अनुपम कुमारी न तो मध्यवर्ती पक्षकार बनी, बल्कि सीधे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के समक्ष अपने पक्ष में आदेश पारित करवा ली। विपक्षी द्वारा उनके उम्र के संबंध में लगाये गये आरोप के संबंध में वादी का कहना है कि उनकी उम्र मात्र ३३ वर्ष है तथा विधवा होने के आधार पर उन्हें सरकार के द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा है न कि उम्र ६२ वर्ष होने के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ। विधवा होने के संबंध में वादी के द्वारा अपने पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में वादी के द्वारा उनके पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा आँगनबाड़ी वाद संख्या-१३/२०२१ में पारित आदेश को निरस्त कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं०-०१/२०२१ में पारित आदेश दिनांक १२.०४.२०२१ के द्वारा उनके चयन को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी अनुपम कुमारी की ओर से दाखिल लिखित बहस में उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अनुपम कुमारी दिनांक ०८.१२.२०२० को आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु सम्पन्न आमसभा में उपस्थित थी, जिसमें प्रकाशित मेधा सूची के क्रमांक-०१ के अभ्यर्थी पूजा कुमारी का चयन किया गया। विपक्षी तथा अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा पूजा कुमारी का प्रमाण-पत्र फर्जी होने के संबंध में आपत्ति की गई, किन्तु उच्चतम मेधा अंक होने के आधार पर पूजा कुमारी का चयन कर दिया गया। विपक्षी का कहना है कि वह आमसभा में उपस्थित थी और उनके द्वारा आमसभा की कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर भी किया गया। उनके द्वारा पूजा कुमारी के चयन के विरुद्ध बाल विकास परियोजना कार्यालय में आपत्ति देने हेतु जाने पर उक्त कार्यालय के कर्मियों ने उनका आवेदन प्राप्त करने से इन्कार कर दिया तथा उन्हें कार्यालय कर्मियों द्वारा बताया गया कि पूजा कुमारी का प्रमाण-पत्र जाँच हेतु भेजा गया है और यदि वह फर्जी पाया जाता है तो स्वतः उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के कर्मियों के द्वारा उन्हें अगले आदेश तक रुकने की बात बतायी गई, किन्तु पूजा कुमारी का चयन रद्द किये जाने पर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। विपक्षी का कहना है कि वादी के द्वारा बड़ी चालाकी से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को आवेदन देकर वाद सं०-०१/२०२१ दायर करायी गई। उक्त वाद के संबंध में विपक्षी को किसी प्रकार की नोटिस/सूचना आदि नहीं दी गई, ताकि वे अपना पक्ष रख पाती। इस प्रकार प्रतिवादी को प्राकृतिक न्याय पाने से वंचित कर दिया गया। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ के द्वारा

Qan.

अपीलार्थी के पक्ष में अंतिम आदेश पारित किया गया। तदनुसार वादी सुनीता कुमारी को प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका के पद पर पूर्व चयनित पूजा कुमारी की जगह चयन कर दिया गया। विपक्षी सं०-०५ के द्वारा अनुरोध किया गया है कि यहाँ इस तथ्य को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है कि उनका नाम मेधा सूची में क्रमांक-०२ पर जबकि वादी का नाम क्रमांक-०३ पर है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ को उनका पक्ष सुनने का एक अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए था। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा कई बार आपत्ति दायर करने हेतु परियोजना कार्यालय का चक्कर लगाया गया किन्तु किसी भी कर्मियों ने उनका शिकायत आवेदन प्राप्त नहीं किया तब उनके द्वारा निबंधित डाक से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ को अपना आपत्ति आवेदन भेजा गया, फिर भी उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तब उनके द्वारा उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को अपना आवेदन समर्पित किया गया तथा उनके पत्रांक-२५७ दिनांक ०४.०३.२०२१ से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा को विपक्षी के आपत्ति आवेदन के आलोक में जाँचोपरान्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा दिनांक १७.०४.२०२१ को जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को भी इस संबंध में आवेदन समर्पित किया गया। विपक्षी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के समक्ष उनके द्वारा अपीलवाद सं०-१३/२०२१ दायर किया गया। जिसमें वादी, विपक्षी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ का पक्ष सुनने के उपरांत दिनांक १८.०८.२०२१ को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ के द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं०-१३/२०२१ में दिनांक १२.०४.२०२१ को पारित आदेश को खंडित करते हुए उन्हें (विपक्षी सं०-०५ को) प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद पर चयन करने का न्यायपूर्ण एवं सही आदेश पारित किया गया। विपक्षी सं०-०५ का यह भी कहना है कि मेधा सूची में वादी का अंक प्रतिशत ५६.५७ (५१.५७+५) मार्गदर्शिका, २०१९ के धारा-०४ के अनुसार गणना कर अंकित है, जो बिल्कुल सही है तथा विपक्षी के अंक प्रतिशत से कम है। वादी के द्वारा विपक्षी के निवास के संबंध में किये गये गलत कथन के बारे में विपक्षी का कहना है कि वे वार्ड नं०-१३ श्रीनगर, पंचायत-बेलोखड़ी की निवासी हैं क्योंकि उनके पति तथा ससुर का नाम पोषक क्षेत्र के मैपिंग पंजी में दर्ज है। उनके निवास की जाँच जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाढ़ से भी कराई गई है। विपक्षी सं०-०५, अनुपम कुमारी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादी की उम्र वृद्धा पेंशन से संबंधित ई-लाभार्थी सूची में ६४ वर्ष उल्लेखित है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वादी का विधवा होना भी संदेहास्पद है, क्योंकि लम्बे समय से



उनके पति लापता हैं। सामाजिक रूप से उनके मृत्यु की सूचना लोगों को नहीं है। उक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी सं०-०५ अनुपम कुमारी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादी के द्वारा न्यायालय को जानबूझकर गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत तथ्यों को पेश किया गया है। उनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के आँगनबाड़ी अपीलवाद सं०-१३/२०२१ दिनांक १८.०८.२०२१ में पारित आदेश को सम्पुष्ट करते हुए वादी के स्थान पर प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका के पद पर उनका चयन करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता मसो० सुनीता कुमारी के द्वारा दिनांक ०८.१२.२०२० की आमसभा में चयनित सेविका पूजा कुमारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी होने के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष साक्ष्य एवं शपथ पत्र के साथ आपत्ति दाखिल किये जाने पर उनके पत्रांक १७४५ दिनांक २३.१२.२०२० के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाड़ के द्वारा आँगनबाड़ी वाद संख्या ०१/२०२१ मसो० सुनीता कुमारी बनाम पूजा कुमारी दायर करते हुए दिनांक २९.१२.२०२० को उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा दिनांक १२.०४.२०२१ को विस्तृत सुनवाई के उपरांत आदेश पारित करते हुए मेधा सूची क्रमांक-०३ की अभ्यर्थी मसो० सुनीता कुमारी, पति स्व० संतोष कुमार का चयन प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका हेतु किया गया। क्योंकि मेधा सूची क्रमांक-०२ की अभ्यर्थी अनुपम कुमारी, पति अशोक कुमार के द्वारा अपने चयन हेतु नियमानुसार दावा/आपत्ति नहीं की गई तथा न ही वे उपरोक्त वाद में मध्यवर्ती पक्षकार बनीं। पुनरीक्षणकर्ता मसो० सुनीता कुमारी के चयन के उपरांत उनके द्वारा सीधे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष वाद दायर किया गया। विपक्षी अनुपम कुमारी का यह कथन कि बाल विकास परियोजना कार्यालय, धैलाड़ के कर्मियों के द्वारा उनके दावा/आपत्ति आवेदन को लेने से इंकार किया गया, स्वीकार्य नहीं है। इस आशय से निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०१९ की कंडिका-११ के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश को खंडित किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धैलाड़ के द्वारा प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका के पद पर मसो० सुनीता कुमारी पति स्व० संतोष कुमार के चयन को यथावत रखा जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त

अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा